रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-23072026-274724
CG-CG-E-23072026-274724

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3836] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 22, 2026/आषाढ 31, 1948
No. 3836] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 22, 2026/ASHADHA 31, 1948

रेल मंत्रालय

(दक्षिण पूर्व मध्य रेलव)

अधिसूचना

बिलासपुर, 20 जुलाई, 2026

रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 20 ई के तहत अधिसूचना

का.आ. 4006(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसें इसके पश्चात् (अ) उक्त अधिनियम कहा गया हैं) की धारा 20 (क) के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उपखंड (II) में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 532 तारीख 05 फरबरी 2026 एवं अधिसूचना क्रमांक 998 तारीख 24 फरबरी 2026 (जिसें इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा उक्त अधिसूचना सें उपबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, विशेष रेल परियोजना दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अन्तर्गत झारसुगड़ा–रायगढ़, रायगढ़–चांपा, चांपा–बिलासपुर, तिल्दा–बिलासपुर, तिल्दा–दुर्ग, **मुंडीकोटा–नागपुर** , बिलासपुर–पेंड्रारोड–अनूपपुर, रायपुर–लखोली, दुर्ग – दारेकसा के मध्य में मौजूदा 1X25KV ट्रैक्शन सिस्टम को 3000 MT लोडिंग लक्ष्य को पूरा करने के लिए 2X25KV एटी फीडर व्यवस्था में अपग्रेड करने हेतु ओडिशा, छत्तीसगढ़, **महराष्ट्र**. राज्य में निष्पादन के लिए अर्जित करने के अपने आषय की घोषणा की थी, और उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप धारा (4) के अधीन 20क अधिसूचना का सार दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर (हिंन्दी) ,लोकमत (हिंन्दी), हितवा**दा** (इंगलिश) में दिनांक 15.02.2026 एवं समाचार पत्र देसोन्नती (हिंन्दी), हितवा**दा** (इंगलिश), दैनिक भास्कर (हिंन्दी), लोकमत समाचार (हिंन्दी) में दिनांक 08.03.2026 को प्रकाषित किया गया था, और निर्धारित समयावधि में कोई **आपति प्राप्त नहीं हुई थी और उक्त अधिनियम की धारा 20 घ के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रकरण का निराकरण किया गया** और उक्त अधिनियम की

धारा 20ङ की उप धारा(1) के अनुसरण में सक्षम अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी हैं, अतः अब केन्द्रीय सरकार सक्षम अधिकारी से उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर और रेल अधिनियम, 1989 की धारा 20ङ की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इससे उपबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पुर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी, और यह कि केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ङ के अनुसरण में यह घोषणा करती है इस अधिघोषणा के राजपत्र में प्रकाषित होने पर इससे उपबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगनों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यांतिक रूप सें निहित हो जाएगी।

प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्न्लिखित है:

	जिला – नागपुर				**राज्य – महाराष्ट्र**			
SN	अनुविभागीय अधिकारी(रा०)/ सक्षम पदाधिकारी	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	भूस्वामी का नाम	भूमि की प्रकृति	खसरा सं	कुल क्षेत्रफल (हे.)में.	अर्जित क्षेत्रफल (हे०) में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	उपविभागीय अधिकारी तथा भू संपादन अधिकारी ,	पारशिवनी	खंडाला –घ	हरीश मनोहर गायधने व दीप्ती अशोक मदनकर	कृषि	177	0.42	**0.80**
						178	0.42	
						179	0.42	
2	उपविभागीय अधिकारी तथा भू संपादन अधिकारी ,	मौदा	रेवराल	सविता प्रमोद महल्ले	कृषि	588	0.47	**0.47**
3	उपविभागीय अधिकारी तथा भू संपादन अधिकारी , मौदा	मौदा	देवमुंदरी	माधोराव मखरुजी उरकुडे यादवराव मखरुजी उरकडे महेंद्र मारोतराव कुर्वे राजाभाऊ मारोतराव कुर्वे शोभाबाई अम्बादास मस्के मिनाबाई देवराव लेदे रत्नाबाई अशोक कुर्वे शुभम अशोकर कुर्वे	कृषि	191	1.05	**0.18**

[फा. सं. सीपीएम/बीएसपी /इले/2x25 के.वी. ओ.एच.ई/भूमि अधि./20 E/2334]

मुदित भटनागर, मुख्य प्रषासनिक अधिकारी /निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS

(South East Central Railway)

NOTIFICATION

Bilaspur, the 20th July, 2026

S.O. 4006(E).— Whereas by the notification of the Government of India, In the Ministry of Railways (Railway Board) number **532** dated **05 February 2026 and** 998 dated **24 February 2026** published in the Gazzette of India (Extra-Ordinary) Part-II section 3 sub section (ii) , hereinafter referred to as the said notification) under subsection (1) of 20A of the railway act,1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act),the central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for execution of Special Railway Project, namely for Up-gradation of existing 1x25KV Traction System to 2x25KV OHE with AT feeder arrangement between Jharsugda-Raigarh**,** Raigarh-Champa, Champa-Bilaspur, Tilda-Bilaspur, Tilda-Durg, **Mundikota-Nagpur**, Bilaspur-Pendra Road-Anuppur, Raipur-Lakholi**,** Durg- Darekasa sections over SEC Railway to meet 3000MT loading target in the state of Odisha, Chhattisgarh, **Maharashtra** over SEC railway. And, whereas the substance of the said notification 20 A was published as per section 20A sub section (4) in the daily Newspapers Dainik Bhaskar (Hindi), Lokmat (Hindi), Hitvada (English) on 15.02.2026 and in news papers Desonnati (Hindi), Hitvada (English), Dainik Bhaskar (Hindi) and Lokmat Samachaar (Hindi) on 08.03.2026 and whereas, **no objection was received within the set time period** and disposed of by the Competent Authority under section 20D of the said Act; and, whereas, in pursuance

of subsection (1) of section 20E of the said act, the Competent Authority has submitted his report to the central Government. Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority, and in exercise of the powers conferred by sub section (1) of the section 20E of the said act 1989, the central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose; and, further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all Encumbrances.

Details of land for which 20(E) is proposed to be issued: -

	District – Nagpur				**State - Maharashtra**			
SN	SDM (Rev.)/ Competent Authority	Name of Tehsil	Name of Village	Bhumi swami ka naam	Nature of land	Khasra no.	Total area (in Hec)	Acquired Area (in Hec)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	SDO, Ramtek District Nagpur	Parshivni	Khandala - gha	Harish Manohar Gaydhane and Deepti Ashok Madankar	Krishi	177	0.42	**0.80**
					Krishi	178	0.42	
					Krishi	179	0.42	
2	SDO, Mauda, District Nagpur	Mauda	Revral	Savita Pramod Mahalle	Krishi	588	0.47	**0.47**
3	SDO, Mauda, District Nagpur	Mauda	Devmundari	Madhorao Makhruji Urkude Yadavrao Makhruji Urkude Mahendra Marotrao Kurve Rajabhau Marotrao Kurve	Krishi	191	1.05	**0.18**

[F. No. CPM/Ele. /BSP/2x25KV OHE/Land Acquisition/20 E /2334]

MUDIT BHATNAGAR, Chief Administrative Officer/Con.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.07.23 10:48:05 +05'30'